रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन).04/0007/2003--05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2012, शनिवार/आषाढ़ 24—आषाढ़ 30, 1934
No. 15] NEW DELHI, JULY 15—JULY 21, 2012, SATURDAY/ASADHA 24—ASADHA 30, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)
(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2012

का.नि.आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2007, और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' तकनीकी पद, भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग (क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय) में सहायक इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) और कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' पद [सहायक इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) और कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन)] भर्ती नियम, 2012 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

2499 GI 2012

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) [तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी और सहायक फोरमैन के पद]	1904* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में से किसी एक विषय में जैसे भौतिकी, रसायन (अकार्बनिक), रसायन (कार्बनिक),	नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष

(7)

इलैक्ट्रोनिक्स, न्यूक्लियर भौतिकी, भौतिकी (इलैक्ट्रोनिक्स के साथ), कम्प्यूटर विज्ञान, माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी में मास्टर डिग्री)।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी एक विद्या शाखा में जैसे मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक्स, इलैक्ट्रोनिक्स और इलैक्ट्रिकल, धातुकर्म, इलैक्ट्रोनिक्स, और टेली कम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर टेक्नोलोजी, ऑटोमोबाईल, फॉर्मास्यूटिकल, प्लास्टिक टेक्नोलोजी, पॉलीमर टेक्नोलोजी, टैक्सटाइल और क्लोथिंग, टैक्सटाइल टेक्नोलोजी, सिरामिक्स टेक्नोलोजी, रसायन, पैट्रो-कैमिकल, सूचना टेक्नोलोजी, इंसटूमैंटेशन और कन्ट्रोल, इलैक्ट्रोनिक्स और इंसटूमैंटेशन, इंडस्ट्रियल और मैनेजमैन्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्सन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलोजी, मैनुफेक्चर प्रोसेस और ऑटोमैशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्सन इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संगठन या उपक्रम से इलैक्ट्रोनिक्स उपस्कर या इलैक्ट्रोनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग या टैक्सटाइल और क्लोथिंग या गारमैन्ट डिजाइनिंग या टैक्सटाइल प्रोसेसिंग या ड्रगस और फॉर्मास्यूटिकल या कैमिकल या पैट्रोलियम प्रोडक्टस या पैन्टस टेक्नोलोजी या टेली कम्यूनिकेशन या इलैक्टिकल या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या इंसटूमैंटेशन या धातुकर्म या सूचना टेक्नोलोजी या प्लास्टिक या पॉलीमर या सिरामिक्स या प्रोडक्सन इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलोजी, के क्षेत्रों में उत्पादन या विकास या क्वालिटी आश्वासन से संबंधित दो वर्ष का व्यवाहारिक अनुभव।

टिप्पण 1 : विज्ञान में मास्टर डिग्री का निश्चित विषय या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिक की स्नातक डिग्री की निश्चित विद्या शाखा और अनुभव का क्षेत्र प्रत्येक भर्ती के समय सूचित किया जाएगा।

टिप्पण 2 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 3 : उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और संबंधित विद्या शाखा के लिए विनिर्दिष्ट, 'बेसिक क्वालिटी आश्वासन पाठ्यक्रम', जो दो सप्ताह से कम का न हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो । **टिप्पण 1.**—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) का पोषक श्रेणी पद धारण करने वाले व्यक्ति, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार के योग्य होंगे यदि उन्होंने संबंधित विद्या शाखा के लिए विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम कम से कम एक सत्पाह का कोई तकनीकी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो । **टिप्पण 2.**—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर तत्कालीन चार्जमैन श्रेणी-I का पोषक पद धारण करने वाले और कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) पुन: अभिदान पद धारण करने वाले व्यक्तियों की दशा में अर्हक सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी । **टिप्पण 3.**—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 4 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. संबंधित विद्या शाखा से अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन —अध्यक्ष 2. संबंधित विद्या शाखा से निदेशक —सदस्य	संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श आवश्यक नहीं

(12)

3. संबंधित विद्या शाखा के अतिरिक्त अन्य विद्या शाखा से निदेशक —सदस्य

4. उपनिदेशक (प्रशासन-10) —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) [तत्कालीन चार्जमैन श्रेणी-1 और चार्जमैन श्रेणी-2 के पद]	*2348 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, रु. 9,300—34,800 + ग्रेड वेतन 4200 रु.)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान के विषयों में से एक में जैसे भौतिकी, रसायन, कम्प्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रानिक्स, माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी में स्नातक डिग्री) । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की विद्या शाखाओं में से एक विद्या शाखा में डिप्लोमा जैसे इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रोनिक्स, कैमिकल, धातुकर्म, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मशीन और टूल्स टेक्नोलोजी, सूचना टेक्नोलोजी, टैक्सटाइलस, हैंडलूम टेक्नोलोजी, एपैरल टेक्नोलोजी, सिरामिक्स टेक्नोलोजी, पॉलीमर टेक्नोलोजी, लैदर टेक्नोलोजी, पैट्रो-कैमिकल, इन्सट्रूमैंटेशन, इलैक्ट्रोनिक्स और टेली कम्यूनिकेशन, प्लास्टिक टेक्नोलोजी, बायोमैडिकल। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संगठन या उपक्रम से इलैक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलैक्ट्रोनिक्स, या कैमिकल्स या कम्प्यूटर या धातुकर्म या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या मशीन और टूल्स टेक्नोलोजी या इन्सट्रूमैंटेशन, या टैक्सटाइल या पैट्रोलियम या टेली कम्यूनिकेशन या गारमैन्ट डिजाइनिंग	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)

या टैक्सटाइल प्रोसेसिंग या ड्रग्स और फॉर्मास्यूटिकल या सूचना टेक्नोलोजी या एपेरल टेक्नोलोजी या सिरामिक्स या पॉलीमर या लैदर या प्लास्टिक के क्षेत्रों में उत्पादन या विकास या क्वालिटी आश्वासन का एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : विज्ञान में स्नातक डिग्री में निश्चित विषय या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिक में डिप्लोमा में निश्चित विद्या शाखा और अनुभव का क्षेत्र प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित किया जाएगा ।

टिप्पण 2 : उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण 3 : उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके **लिए आरक्षित** रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. संबंधित विद्या शाखा से अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन —अध्यक्ष 2. संबंधित विद्या शाखा से निदेशक —सदस्य 3. संबंधित विद्या शाखा के अतिरिक्त अन्य विद्या शाखा से निदेशक —सदस्य 4. उपनिदेशक (प्रशासन 10) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए/86320/आर आर/तकनीकी/डीजीक्यूए/प्रशा-10/1420/डी(क्यूए)/2012)]

सुभाष चंद, अंवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 12th July, 2012

S.R.O. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Junior Technical Officer Group 'B' post Recruitment Rules, 2007, and the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance Group 'C' (Technical Posts) Recruitment Rules, 1999 except as respects things done or

omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer (Quality Assurance) and Junior Engineer (Quality Assurance), in the Department of Defence Production (Directorate General of Quality Assurance), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance .Group 'B' posts [Assistant Engineer (Quality Assurance) and Junior Engineer (Quality Assurance)] Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and Grade pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Engineer (Quality Assurance) [Erstwhile Posts of Junior Technical Officer and Assistant Foreman]	1904* (2012) *Subject to variation dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and

	(6)
	Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : Masters Degree in Science in one of subjects viz. Physics, Chemistry (Inorganic), Chemistry (Organic), Electronics, Nuclear Physics, Physics (With Electronics), Computer Science, Microbiology, Biotechnology from a recognised University. OR Bachelor's Degree in Engineering or Technology in one of the disciplines viz. Mechanical, Electrical, Electronics, Electronics and Electrical, Metallurgy, Electronics and Tele Communication, Computer Science, Computer Technology, Automobile, Pharmaceuticals, Plastic Technology, Polymer Technology, Textile and clothing, Textile Technology, Ceramics Technology, Chemical, Petro-chemical, Informational Technology, Instrumentation and Control, Electronics and Instrumentation, Industrial and Management Engineering, Production and Industrial Engineering, Biotechnology, Manufacture Process and Automation Engineering, Production Engineering, Bio Engineering from a recognised University or Institute. (ii) Two years practical experience in production or development or quality assurance in the fields of Electronics Equipment or Electronics or Mechanical Engineering or Automobile Engineering or Textile and clothing or Garment Designing or Textile Processing or Drugs and Pharmaceuticals or Chemicals or Petroleum Products or Paints Technology or Telecommunication or Electrical or Computer Science or Computer Engineering or Instrumentation or Metallurgy or Information Technology or Plastic or Polymer or Ceramics or Production Engineering or Biotechnology from a recognised Organisation or Undertaking. **Note 1:** Exact subject in Master's Degree in Science or exact discipline in Bachelor's Degree in Engineering or Technology and area of experience shall be intimated at the time of each recruitment. **Note 2 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	No	Two years for direct recruits

(7)

Note 3 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
66.67% by promotion; 33.33% by direct recruitment	**Promotion :** Junior Engineer (Quality Assurance) in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed 'Basic Quality Assurance Course' specific to respective Discipline of not less than two weeks' duration. **Note1 :** The persons holding the feeder grade post of Junior Engineer (Quality Assurance) on the date of notification of these rules, shall be eligible for consideration for promotion by Departmental Promotion Committee, if they have successfully completed any of the Technical Courses of minimum one week duration specific to their respective Discipline. **Note 2 :** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the erstwhile feeder grade post of Chargeman Grade-I and holding the redesignated post of Junior Engineer (Quality Assurance) on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 3 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee a(for considering promotion and confirmation) consisting of : 1. Additional Director General Quality Assurance of the concerned discipline —Chairman 2. Director of the concerned discipline —Member 3. Director from discipline other than the concerned discipline —Member 4. Deputy Director (Administration-10) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Engineer (Quality Assurance) [Erstwhile Posts of Chargeman Grade-I and Chargeman Grade-II]	2348* (2012) *Subject to variation dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission

(7)	(8)	(9)
Essential : (1) Bachelor's Degree in Science with one of the subjects at Graduate level viz. Physics, Chemistry, Computer Science, Electronics, Microbiology, Biotechnology from a recognised University. OR Diploma in Engineering or Technology in one of the disciplines viz. Electrical, Mechanical, Electronics, Chemical, Computer,	Not applicable	Two years

(7)

Metallurgy, Industrial Production, Automobile, Machines and Tools Technology, Information Technology, Textiles, Handloom Technology, Apparel Technology, Ceramics Technology, Polymer Technology, Leather Technology, Petro-chemical, Instrumentation, Electronics and Telecommunication, Plastic Technology, Bio-Medical from a recognised University or State Board of Technical Education.

(ii) One year experience in Production or Development or Quality Assurance in the fields of Electrical or Mechanical or Electronics or Chemical or Computer or Metallurgy or Industrial Production or Automobile or Machine and Tool Technology or Instrumentation or Textiles or Petroleum or Telecommunication or Garment Designing or Textile Processing or Drugs and Pharmaceuticals or Information Technology or Apparel Technology or Ceramics or Polymer or Leather or Plastic from a recognised Organisation or Undertaking.

Note 1: Exact subject in Bachelor's Degree in Science or exact discipline in Diploma in Engineering or Technology a J area of experience shall be indicated at the time of each recruitment.

Note 2 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 3 : The qualification (s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that suff .ent number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of: 1 Additional Director General Quality Assurance of the concerned discipline —Chairman 2 Director of the concerned discipline —Member 3 Director from discipline other than the concerned discipline —Member 4. Deputy Director (Administration-10) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A/86320/RR/Tech/DGQA/Adm-10/1420/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.